महोदय,

GST हेतु Amendment Bill राज्यसभा से पास हो गया है अतः अब 01.04.17 से GST पूरे देश में लागू होने की सम्भावना है GST का जो Model Act आया है उसके अनुसार निम्न विषयों पर शंकाये है उन्हे दूर करने हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत है :-

1. GST के अन्तर्गत SGST व CGST & IGST का कर निर्धारण अलग होगा और कर निर्धारण अधिकारी भी अलग अलग होंगे इससे व्यापारियों को अलग अलग अधिकारियों के पास चक्कर लगाने होंगे इससे व्यापारियों का अनावश्यक समय व पैसा खर्च होगा व उत्पीड़न बढ़ेगा।

सुझाव :- एक व्यापारी एक कर निर्धारण अधिकारी के सिद्धान्त पर एक व्यापारी का कर निर्धारण एक ही अधिकारी द्वारा किया जायें।

2. GST Model Act के अनुसार प्रत्येक व्यापारी को प्रत्येक माह की दस तारीख तक पिछले माह की बिक्री का, पन्द्रह तारीख तक खरीद का व **20** तारीख तक खरीद बिक्री का सम्पूर्ण रिटर्न इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी को प्रति माह तीन रिटर्न दाखिल करने होंगे जिससे व्यापारी का समय व खर्च बर्बाद होगा व एवं विभाग को भी कोई विशेष फायदा नही होगा अभी वैट एक्ट में भी माह में केवल एक बार **20** तारीख तक रिटर्न दाखिल करने का प्राविधान है।

सुझाव :- GST में भी एक माह में केवल एक रिटर्न दाखिल किये जाने का प्राविधान किया जाना चाहियें।

3. GST के अन्तर्गत Threshold Limit 10 Lac (NE States & Sikkim को छोड़कर) रखी गई है अर्थात् 10 Lac से अधिक के टर्नओवर वाले प्रत्येक व्यापारी को GST जो कि 18% या अधिक देना होगा जबकि अभी Excise की Limit 1.5 Crore है अर्थात् अब 1.5 से नीचे की टर्नओवर वाली निर्माता इकाईयों की छूट समाप्त हो जायेगी जिससे उनके उत्पाद महंगे हो

जायेंगे और वे बड़ी कम्पनियों से कम्पलीट नही कर पायेगी अतः भारतीय Cottage Industries जो कि देश की आत्मा है और देश की आर्थिक व सेवायोजन में विशेष योगदान है पर Adverse Effect आयेगा।

सुझाव :- अतः 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर वाली इकाईयों के लिये ऐसे Provision बनाये जाये जिससे उनको नुकसान न हो।

4. उक्त Model Act के अनुसार अगर कोई विकेता किसी माल को बेंचता है और GST वसूल करके नही जमा करता है या कम जमा करता है या रिटर्न दाखिल नही करता है तो केता को ITC का लाभ नही मिलेगा।

सुझाव :- इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जब GST का रजिस्ट्रेशन सरकार जारी करती है और GST वसूल करने का अधिकार देती है और केता कानूनन GST उसे Pay करने के लिये बाध्य है तो फिर विकेता के द्वारा किये गये विधि विरूद्ध कार्य के लिये केता को कैसे जिम्मेदार ठहराते हुये उसे ITC से वंचित किया जा सकता है।

सुझाव :- इस सम्बन्ध में निवेदन है कि अगर केता विकेता व्यापारी के बीच किये गये Transaction को Genuine पाया जाता है तो केता को ITC दिया जाये व विकेता के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जायें।

5. Penalty Provisions में सजा के काफी Harsh प्राविधान किये गये है इसे रू**0 25** लाख अधिक की बकाये पर कारावास का प्राविधान है एवं 2.50 करोड़ से अधिक की अथवा बकाये पर Non bailable Offence माना गया है। चूँकि व्यापार में लाभ हानि होती रहती है और अतः कभी कभी व्यापार में हानि के कारण एवं अन्य व्यापारियों द्वारा समय पर भुगतान न करने के कारण भी समय पर भुगतान नही हो पाता है अतः ऐसी स्थिति में Genuine व्यापारी पर उत्पीड़न होगा।

सुझाव :- बकाये की स्थिति में सजा का प्राविधान समाप्त किया जायेंक्त

6. अधिकारियों को पुलिस का पावर भी दिया जा रहा है जिससे व्यापारियों पर उत्पीड़न बढ़ेगा और Power के Misuse होने की सम्भावना है एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी।

<u>सुझाव -</u> राजस्व अधिकारियों को पुलिस व मैजिस्ट्रेट की पॉवर न दी जाये एवं इसे न्यायालय के अधीन ही रहने दिया जायें।

7. Model Act के तहत पंजीयन देते समय न तो फोटो एवं अन्य कागजातों या व्यक्ति के सत्यापन का ही प्राविधान है और न ही राजस्व सुरक्षा हेतु किसी प्रकार की सिक्योरिटी का प्राविधान है अतः इसमें फर्जी पंजीयन की संभावना बढ़ जायेगी और कोई भी व्यक्ति फर्जी कागजातो के आधार पर पंजीयन प्राप्त कर टैक्स वसूल करके नही जमा करेगा तो एक्ट में ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होगा।

<u>सुझाव :-</u> अतः इस सम्बन्ध में निवेदन है कि GST Registration के समय फोटो Identification कराये जाने का प्राविधान किया जाये व राजस्व सुरक्षा हेतु उचित जमानत लिये जाने का प्राविधान किया जायें ताकि फर्जी लोग पंजीयन न प्राप्त कर सकें।

8. GST Model Act के अनुसार प्रथम अपील व द्वितीय अपील दाखिल करने के लिये विवादित कर का 10% जमा करना आवश्यक है उपरोक्त प्राविधान Natural Justice के विरूद्ध है क्योंकि जिस व्यक्ति पर Excessive Tax आरोपित होगा और वह आर्थिक रूप से 10% जमा करने में सक्षम नही है तो उसका अनावश्यक उत्पीड़न होगा।

<u>सुझाव :-</u> अपील दाखिल करने हेतु विवादित कर का 10% की राशि जमा करने की बाध्यता समाप्त की जानी चाहियें। इससे व्यापारियों का उत्पीड़न नही होगा।

<u>भवदीय</u>

प्रदीप कुमार अग्रवाल
(एडवोकेट)